न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निग - 2722 - I - 16

प्र.क. ....

कोमल प्रसाद पुत्र चिरोंजीलाल
जाति जादौन ठाकुर
निवासी -- ग्राम करारिया तहसील व जिला विदिशा .....**निगरानीकर्ता**

विरुद्ध

बलवीर सिंह पुत्र बापू सिंह
निवासी -- ग्राम करारिया, तहसील व जिला विदिशा ...**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्तागण विद्वान तहसीलदार महोदय तहसील विदिशा के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 41/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13/04/2016 से परिवेदित एवं दुःखी होकर ठोस तथ्यों एवं विधिक आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष जानकारी एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति दिनांक 21 जून 2016 से समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत है।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य

निगरानीकर्ता कोमल प्रसाद ने ग्राम करारिया तहसील व जिला विदिशा पटवारी हल्का नं. 23, स्थित खसरा क्रमांक 204/3, रकबा 0.872 हेक्टेयर में से रकबा 0.454 हेक्टेयर एवं खसरा कमाक 210/1/3 रकबा 1.096 हेक्टेयर में से रकबा 0.051 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 0.505 हेक्टेयर अर्थात 2 बिगा 8 विस्वा 3 यारे लगानी 1 रुपये 60 पैसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24 अगस्त 1993 को क्रय किया था। जिसकी चौहदी पूर्व में राम सिंह का खेत पश्चिम में बाबूलाल का खेत, उत्तर में अजब सिंह का खेत, दक्षिण में खुमान सिंह का खेत है, जिस पर निगरानीकर्तागण क्रेता दिनांक से शांतिपूर्वक काबिज है। परंतु अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता ने हल्का पटवारी हल्का से मिलकर बालाबाला सीमांकन की कार्यवाही विधि विरुद्ध तरीके से करवाकर निगरानीकर्ता की भूमि के अंदर अपने निशानात / अस्थाई चीरे गढवा दिये। सीमांकन की सूचना आवेदक को नहीं दी गयी तथा एक ही दिन में अर्थात 13 अप्रैल 2016 को राजसव निरीक्षक ओर हल्का पटवारी ने तहसीलदार के समक्ष सीमांकन की कार्यवाही होना बता दिया। जो कि प्रक्रिया का पालन किये बिना की गयी। अतः निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार महोदय ने आवेदक को सुनाई का अवसर दिये बिना सीमांकन की कार्यवाही की है। जो जानकारी दिनांक एवं प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्राप्ति दिनांक 21 जून 2016 से समयावधि

XXIX(a)-BR(H)-11

(239)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2722-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अखिलेश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

प्रस्तुत है।